27/6/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश का
दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

आदेश से पीठासीन

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विविध/2025/42083 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,92क,183,186 एवं 212 के अन्तर्गत विचारार्थ प्राप्त सवाईपुर की पत्रावलियां अंतरित होकर व्यस्त सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारान को वास्ते सुनवाई तलब किया जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 210 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केस कोर्ट दिनांक 2/7/25 स्थान भीलवाड़ा पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 31/7/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

30/7/25. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अशोक कुमार उपस्थित। अधि. [illegible] मोट डेड [illegible] किया जाकर अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता [illegible] निवेदन किया कि [illegible] स्थगित किया जाकर [illegible] निर्णित [illegible] पत्रावली [illegible] दर्ज [illegible] रोका [illegible]

Not fresh

30/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा